



बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेन्सी
मीठापुर कृषि परिक्षेत्र परिसर, पटना
☎ :- 0612 - 2354358, E-mail: sca.patna@rediffmail.com
Website : www.bssca.in

पत्रांक- 554 बी0प्र0, पटना

दिनांक- 24/03/2015.

प्रेषक:

निदेशक
बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेन्सी
पटना।

सेवा में,

सभी प्रमण्डलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)
सभी जिला कृषि पदाधिकारी
सभी परियोजना निदेशक (आत्मा)
सभी सहायक निदेशक (उद्यान)
सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी

विषय:-

महाशय,

बिहार में जैविक उत्पादों का प्रमाणीकरण राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत उत्तराखण्ड राज्य जैविक प्रमाणन एजेन्सी के माध्यम से कराने हेतु प्रचार-प्रसार के सम्बंध में।

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि राज्य में खाद्यान्न, दलहन, तेलहन, शब्जी एवं अन्य फसलों की जैविक खेती किसानों द्वारा किया जा रहा है। जैविक उत्पादों के प्रमाणन हेतु राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम में अंकित नियमावली के अनुसार जैविक खेती करने पर ही उत्पादों के प्रमाणीकरण किए जाने का प्रावधान है। राज्य सरकार द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जब तक बिहार राज्य के एजेन्सी को एपीडा से एक्रीडिटेसन प्राप्त नहीं होता है जबतक बिहार में उत्पादित जैविक उत्पादों का प्रमाणीकरण उत्तराखण्ड राज्य जैविक प्रमाणन एजेन्सी के माध्यम से किया जाएगा। वर्तमान में इसके लिए बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेन्सी एवं उत्तराखण्ड राज्य जैविक प्रमाणन एजेन्सी, देहरादून के बीज एकरारनामा की तिथि 23.02.2015 से एक वर्ष के लिए एकरारनामा किया गया है। एकरारनामा के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य जैविक प्रमाणन एजेन्सी द्वारा प्रमाणीकरण के लिए निर्धारित शुल्क जैविक उत्पादकों से लिए जाएंगे।

अतः उत्तराखण्ड राज्य जैविक प्रमाणन एजेन्सी द्वारा प्रमाणन सम्बंधी निर्धारित शुल्क की प्रति संलग्न कर भेजते हुए अनुरोध है कि जैविक उत्पादों के प्रमाणीकरण हेतु उत्पादकों के बीच प्रचार-प्रसार करने की कृपा की जाय। इससे सम्बंधित जानकारी एजेन्सी के वेबसाइट bssca.co.in/ कृषि विभाग के वेबसाइट www.krishi.bih.nic.in अथवा मोबाईल संख्या 9431818707 तथा 7549625016 पर प्राप्त की जा सकती है।

अनुलग्नक- एक प्रति।

विश्वासभाजन

23/03/15
निदेशक

बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेन्सी
पटना